

Title: Situation arising out of ban on sale of mineral water in puches resulting in large scale unemployment.

**श्री वाई. जी. महाजन (जलगांव)** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित किया गया मिनरल वाटर बोतलों तथा पाउच द्वारा बेचा जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने दोनों तरीकों से पैक किए गए पानी निर्माताओं को आई.एस.आई. मार्क दिया है, किन्तु अचानक हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने पाउच द्वारा बेचे जाने वाले मिनरल वाटर पर पाबन्दी लगा दी है जिसे देशभर के मिनरल वाटर निर्माता हैरानी में हैं।

महोदय, बोतलबंद पानी बेचने को अनुमति और पाउच के निर्माताओं पर पाबन्दी, यह कैसा न्याय हो रहा है ? इससे देश के हजारों पाउच बनाने वाले, मिनरल वाटर बेचने वाले तथा पाउच पैक करने वाले बेरोजगार हो गए हैं। इस व्यवसाय से जुड़े हुए लाखों की संख्या में कारीगर भी बेरोजगार हो गए हैं। कई उत्पादकों ने बैंकों से ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया था। पाउच द्वारा मिनरल वाटर बेचने पर पाबन्दी लगने के बाद उन्हें बैंकों का ऋण चुकाने में भी काफी कठिनाई हो रही है।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे पाउच में मिनरल वाटर बेचने पर लगाई गई पाबन्दी को तुरन्त हटाने के निर्देश जारी करें।